राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक कृषि (वि.) जि.प. करौली

क्रमांक : 449-455 दिनांक : 7/6/2021

: निविदा सूचना /2021–22 :

इस कार्यालय द्वारा वर्ष 2021–22 में संचालित सॉयल हेल्थ कार्ड योजनान्तर्गत, इस कार्यालय के अधिनस्थ मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला करौली हेतु नीचे लिखित कार्यो हेतु सेवा प्रदाता संस्था से जॉब आउटसोर्स आधार पर करवाने बाबत् निविदाऐ आमंत्रित की जाती हैं। निम्न सेवा आपूर्ति हेतु इच्छुक व्यक्ति फर्म /उपकम दिनांक 08.06.2021 से 14.06.2021 दोपहर 11:00 बजे तक रुपये 200/– इस कार्यालय में नकद जमा करा कर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

क्र.सं.	सामग्री / कार्य का विवरण	अनुमानित राशि रु.	धरोहर राशि रु.	निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि एवं समय
1	प्रयोगशाला में सहायक कार्य हेतु जैसे मिटटी कूटना,छानना ,साफ सफाई आदि	1.00 लाख	–	14.06.2021 दोपहर 12:00 बजे तक	14.06.2021 को दोपहर 3:30 पी.एम.
2	ऑनलाईन मृदा स्वास्थ्य कार्ड डाटा अप्लोडिंग एवं प्रिटिंग कार्य करने (मय पेपर) हेतु	2.00 लाख	4000/–	14.06.2021 दोपहर 12:00 बजे तक	14.06.2021 को दोपहर 3:30 पी.एम.

अन्य शर्ते एवं निविदा प्रपत्र https://sppp.rajasthan.gov.in या http://www.agriculture.rajasthan.gov.in देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है।

NIB No.

(रामलाल जाट)
उप निदेशक कृषि (वि.)
जि.प. करौली

प्रतिलपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि (रसायन) कृषि आयुक्तालय राज0जयपुर।
2. श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि (वि0) भरतपुर
3. एसीपी कृषि आयुक्तालय राज0जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को विभागीय पोर्टल पर अप्लोड करने की कृपा करे।
4. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/कलेक्ट्रेट परिसर करौली
5. संस्थापन शाखा।
6. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक कृषि (वि.)
जि.प. करौली

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक कृषि (वि.) जि.प. करौली

निविदा की शर्ते

1. इच्छुक निविदादाताओ को निविदा में दिये गये निर्देशो के अनुसार निविदा मुहरबंद लिफाफे में **प्रयोगशाला में सहायक कार्य एवं ऑनलाईन डाटा इन्द्राज करना व उसी का ऑनलाईन मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रिटिंग कार्य हेतु अलग–अलग प्रस्तुत करनी होगी।** निविदाता एक या दोनो कार्यो के लिये निविदा प्रस्तुत कर सकता है। लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से कार्य का नाम लिखना होगा। उसके साथ बयाना राशि संलग्न करनी होगी।
2. इच्छुक निविदादाता रूपये 200/– कार्यालय में नकद जमा करवाकर निविदा प्रपत्र दिनांक 8.06.2021 से 14.06.2021 तक दोपहर **11:00** बजे तक कार्यालय से क्रय कर सकते है।
3. निविदा प्रपत्र मय बयाना राशि जो कि अनुमानित लागत के 2 प्रतिशत मूल्य के बराबर होगी, नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद करौली के नाम देय हो संलग्न कर दिनांक 14.06.2021 दोपहर **12:00** बजे तक कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। देरी से प्राप्त होने वाली एवं बयाना राशि के बिना प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जावेगा। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 14.06.2021 को **3:30** पी.एम. बजे उपापन कमेटी एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी
4. व्यक्तियों से किसी प्रकार का निजी अनुबन्ध नहीं किया जावेगा तथा प्राइवेट प्लेसमेन्ट एजेन्सी से भी व्यक्तियो का अनुबन्ध नही किया जावेगा, केवल कार्य का अनुबन्ध किया जावेगा।
5. निविदा में किसी प्रकार की कांट–छांट नही करे। ऐसी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
6. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।
7. निविदादाता को अपना पेन कार्ड की फोटो प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
8. निविदा फार्म को बालपेन से अथवा टंकण से भरा हुआ ही प्रस्तुत किया जावें, पेन्सिल से भरा हुआ निविदा फार्म स्वीकार नहीं किया जावेगा।
9. निविदादाता को अपनी दरें अंको एवं शब्दो में साफ–साफ लिखनी चाहिये इनमें कोई त्रुटिया/अपलेखन/अशुद्वियो/कांट–छांट नहीं होनी चाहियें।
10. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
11. निविदादाता को इस हेतु कोई अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
12. प्रयोगशाला में सहायक कार्य हेतु प्रतिदिन विश्लेषण 40–50 मृदा नमूना हेतु शिडयूल जी– (1) के अनुसार कार्य करना होगा एवं सॉयल हैल्थ कार्ड प्रिन्टिंग हेतु साप्ताहिक विश्लेशित 200–250 मृदा नमूनो के सॉयल हैल्थ कार्ड शिडयूल जी–(2) के अनुसार परिणाम प्राप्ति के सात दिवस में प्रयोगशाला को गांव वार उपलब्ध कराने होगे।

13. सॉयल हेल्थ कार्ड प्रिंटिंग का कार्य निविदादाता को 100 GSM के A4 पेपर पर रंगीन प्रिंटर (Colour Printer) द्वारा कलर प्रिंटिंग करना होगा।

14. सॉयल हैल्थ कार्ड के पेपर की व्यवस्था निविदादाता द्वारा स्वंय द्वारा की जावेगी एवं पेपर की गुणवता की जांच विभाग द्वारा कभी भी करवायी जा सकेगी। पेपर उचित गुणवता का नही पाया गया तो निविदादाता के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

15. फर्म को भुगतान उसके द्वारा कार्यालय को उपलब्ध करवाये गये बैंक खाते में कोषालय द्वारा ऑनलाइन किया जावेगा। इस हेतु फर्म को अपने बैंक की पूर्ण डिटेल/पैन नं./ मोबाईल नं. आदि की सम्पूर्ण जानकारी कार्यालय को उपलब्ध करवानी होगी।

16. फर्म को अपनी दरें 1 जुलाई 2017 से लागू होने वाले वस्तु एवं सेवा कर सहित प्रस्तुत करनी होगी पृथक से कोई अन्य कर देय नहीं होगा। वस्तु एवं सेवा कर नियमों की पालना करनी होगी तथा जीएसटी नियमों के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

17. फर्म को दिये जाने वाले भुगतान से नियमानुसार टीडीएस की कटौती की जावेगी, जिसका फार्म नं. 16A फर्म को समय-समय पर उपलब्ध करवा दिया जावेगा।

18. फर्म द्वारा भुगतान प्राप्त करने हेतु बिल कम से कम 800 नमूनों के विश्लेषण एवं उनके डाटा की एन्ट्री सॉयल हेल्थ कार्ड के प्रिन्ट उपलब्ध करने पर प्रस्तुत करना होगा।

19. फर्म को भुगतान बजट की उपलब्धता पर निर्भर होगा, यदि कभी बजट आवंटन देरी से प्राप्त होता है तो भुगतान में विलम्ब हो सकता है।

20. सॉयल हेल्थ कार्ड योजनान्तर्गत पूर्व में विश्लेषित नमूनो के सॉयल हेल्थ कार्ड भी सॉयल हेल्थ कार्ड की निविदा दर पर ही बनाने होगे।

21. अनुमोदित दरें अनुबन्ध तिथि से 31.03.2022 तक के लिये मान्य होगी, इस अवधि का आपसी सहमति से आवश्यकतानुसार आगामी तीन माह तक बढाया जा सकेगा।

22. निविदादाता अपनी/संविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नही सौंपेगा या उसे भाड़े पर नही देगा।

23. सफल निविदादाता को सात दिन के अन्दर नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा कराकर 500/- रूपये के निर्धारित नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पेपर पर हस्ताक्षर कर अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करना होगा। प्रतिभूति राशि कुल लागत की 5 प्रतिशत होगी। सफल निविदादाता की बयाना राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित कर लिया जावेगा।

24. संविदा की शर्तो का उल्लघंन करने या कार्य सन्तोषप्रद नहीं होने या निविदा सफल होने के उपरान्त भी कार्य नही करने की स्थिति में धरोहर/बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी।

25. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर होने वाले व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा।

26. उपरोक्त शर्तो के अलावा अन्य शर्ते राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम के अनुसार लागू होगी।

27. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त करने व निविदा शर्तो में संशोधन का अधिकार उपापन कमेटी के पास सुरक्षित होगा।

28. डाटा अपलोड कार्य में नमूना ईकाई क्षेत्र में आने वाले समस्त कृषको के नाम अपलोड कर सभी के अलग–अलग कार्ड बनाने होगे

29. कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना के ऑनलाईन इन्द्राज कार्य में किसी प्रकार त्रुटि पाये जाने पर उस त्रुटि फलस्वरूप डाटा इन्द्राज एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड का भुगतान नही किया जायेगा। त्रुटि को सही किया जाकर नया मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाये जाने पर ही उसका भुगतान किया जायेगा।

उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 29 की शर्ते मुझे/हमें स्वीकार है जिसके सहमति स्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

उप निदेशक कृषि (विस्तार) जि.प. करौली

हस्ताक्षर निविदादाता

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक कृषि (वि.) जि.प. करौली

शिड्यूल – जी (1)

क्र.सं.	कार्य का विवरण		
1	प्रयोगशाला में विश्लेषण में सहायक कार्य	मिट्टी के नमूनो को कूटना, छानना, सैट लगाना, तैयार करना, ग्लासवेयर व प्लास्टिकवेयर धोना, जमाना, प्रयोगशाला साफ–सफाई व विश्लेषण कार्यो के दौरान मदद करना एवं पानी के नमूनो को विश्लेषण हेतु तैयार करना आदि प्रयोगशाला के कार्य	दर रू0 में प्रति माह
योग	**उपरोक्त कार्य की दर प्रति माह**	–	

क्र0 स0	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय परिश्रमिक जोकि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगीं मय संख्या				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवाप्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
		श्रमिक श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर	श्रमिकों की संख्या	राशि				

उप निदेशक कृषि (विस्तार)
जि.प. करौली

हस्ताक्षर निविदादाता

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक कृषि (वि.) जि.प. करौली

निविदा की शर्ते

1. इच्छुक निविदादाताओ को निविदा में दिये गये निर्देशो के अनुसार निविदा मुहरबंद लिफाफे में **प्रयोगशाला में सहायक कार्य एवं ऑनलाईन डाटा इन्द्राज करना व उसी का ऑनलाईन मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रिटिंग कार्य हेतु अलग–अलग प्रस्तुत करनी होगी।** निविदाता एक या दोनो कार्यो के लिये निविदा प्रस्तुत कर सकता है। लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से कार्य का नाम लिखना होगा। उसके साथ बयाना राशि संलग्न करनी होगी।
2. इच्छुक निविदादाता रूपये 200/– कार्यालय में नकद जमा करवाकर निविदा प्रपत्र दिनांक 8.06.2021 से 14.06.2021 तक दोपहर **11:00** बजे तक कार्यालय से क्रय कर सकते है।
3. निविदा प्रपत्र मय बयाना राशि जो कि अनुमानित लागत के 2 प्रतिशत मूल्य के बराबर होगी, नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद करौली के नाम देय हो संलग्न कर दिनांक 14.06.2021 दोपहर **12:00** बजे तक कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। देरी से प्राप्त होने वाली एवं बयाना राशि के बिना प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जावेगा। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 14.06. 2021 को **3:30** पी.एम. बजे उपापन कमेटी एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी
4. व्यक्तियों से किसी प्रकार का निजी अनुबन्ध नहीं किया जावेगा तथा प्राइवेट प्लेसमेन्ट एजेन्सी से भी व्यक्तियो का अनुबन्ध नही किया जावेगा, केवल कार्य का अनुबन्ध किया जावेगा।
5. निविदा में किसी प्रकार की कांट–छांट नही करे। ऐसी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
6. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।
7. निविदादाता को अपना पेन कार्ड की फोटो प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
8. निविदा फार्म को बालपेन से अथवा टंकण से भरा हुआ ही प्रस्तुत किया जावें, पेन्सिल से भरा हुआ निविदा फार्म स्वीकार नहीं किया जावेगा।
9. निविदादाता को अपनी दरें अंको एवं शब्दो में साफ–साफ लिखनी चाहिये इनमें कोई त्रुटिया/अपलेखन/अशुद्धियो/कांट–छांट नहीं होनी चाहियें।
10. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
11. निविदादाता को इस हेतु कोई अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
12. प्रयोगशाला में सहायक कार्य हेतु प्रतिदिन विश्लेषण 40–50 मृदा नमूना हेतु शिडयूल जी– (1) के अनुसार कार्य करना होगा एवं सॉयल हैल्थ कार्ड प्रिन्टिंग हेतु साप्ताहिक विश्लेशित 200–250 मृदा नमूनो के सॉयल हैल्थ कार्ड शिडयूल जी–(2) के अनुसार परिणाम प्राप्ति के सात दिवस में प्रयोगशाला को गांव वार उपलब्ध कराने होगे।

13. सॉयल हेल्थ कार्ड प्रिंटिंग का कार्य निविदादाता को 100 GSM के A4 पेपर पर रंगीन प्रिंटर (Colour Printer) द्वारा कलर प्रिंटिंग करना होगा।

14. सॉयल हैल्थ कार्ड के पेपर की व्यवस्था निविदादाता द्वारा स्वंय द्वारा की जावेगी एवं पेपर की गुणवत्ता की जांच विभाग द्वारा कभी भी करवायी जा सकेगी। पेपर उचित गुणवत्ता का नही पाया गया तो निविदादाता के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

15. फर्म को भुगतान उसके द्वारा कार्यालय को उपलब्ध करवाये गये बैंक खाते में कोषालय द्वारा ऑनलाइन किया जावेगा। इस हेतु फर्म को अपने बैंक की पूर्ण डिटेल/पैन नं./ मोबाईल नं. आदि की सम्पूर्ण जानकारी कार्यालय को उपलब्ध करवानी होगी।

16. फर्म को अपनी दरें 1 जुलाई 2017 से लागू होने वाले वस्तु एवं सेवा कर सहित प्रस्तुत करनी होगी पृथक से कोई अन्य कर देय नहीं होगा। वस्तु एवं सेवा कर नियमों की पालना करनी होगी तथा जीएसटी नियमों के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

17. फर्म को दिये जाने वाले भुगतान से नियमानुसार टीडीएस की कटौती की जावेगी, जिसका फार्म नं. 16A फर्म को समय-समय पर उपलब्ध करवा दिया जावेगा।

18. फर्म द्वारा भुगतान प्राप्त करने हेतु बिल कम से कम 800 नमूनों के विश्लेषण एवं उनके डाटा की एन्ट्री सॉयल हेल्थ कार्ड के प्रिन्ट उपलब्ध करने पर प्रस्तुत करना होगा।

19. फर्म को भुगतान बजट की उपलब्धता पर निर्भर होगा, यदि कभी बजट आवंटन देरी से प्राप्त होता है तो भुगतान में विलम्ब हो सकता है।

20. सॉयल हेल्थ कार्ड योजनान्तर्गत पूर्व में विश्लेषित नमूनो के सॉयल हेल्थ कार्ड भी सॉयल हेल्थ कार्ड की निविदा दर पर ही बनाने होगे।

21. अनुमोदित दरें अनुबन्ध तिथि से 31.03.2022 तक के लिये मान्य होगी, इस अवधि का आपसी सहमति से आवश्यकतानुसार आगामी तीन माह तक बढाया जा सकेगा।

22. निविदादाता अपनी/संविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नही सौंपेगा या उसे भाड़े पर नही देगा।

23. सफल निविदादाता को सात दिन के अन्दर नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा कराकर 500/- रूपये के निर्धारित नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पेपर पर हस्ताक्षर कर अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करना होगा। प्रतिभूति राशि कुल लागत की 5 प्रतिशत होगी। सफल निविदादाता की बयाना राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित कर लिया जावेगा।

24. संविदा की शर्तो का उल्लघंन करने या कार्य सन्तोषप्रद नहीं होने या निविदा सफल होने के उपरान्त भी कार्य नही करने की स्थिति में धरोहर/बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी।

25. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर होने वाले व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा।

26. उपरोक्त शर्तो के अलावा अन्य शर्ते राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम के अनुसार लागू होगी।

27. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त करने व निविदा शर्तो में संशोधन का अधिकार उपापन कमेटी के पास सुरक्षित होगा।

28. डाटा अपलोड कार्य में नमूना ईकाई क्षेत्र में आने वाले समस्त कृषको के नाम अपलोड कर सभी के अलग–अलग कार्ड बनाने होगे

29. कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना के ऑनलाईन इन्द्राज कार्य में किसी प्रकार त्रुटि पाये जाने पर उस त्रुटि फलस्वरूप डाटा इन्द्राज एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड का भुगतान नही किया जायेगा। त्रुटि को सही किया जाकर नया मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाये जाने पर ही उसका भुगतान किया जायेगा।

उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 29 की शर्ते मुझे/हमें स्वीकार है जिसके सहमति स्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

उप निदेशक कृषि (विस्तार) जि.प. करौली

हस्ताक्षर निविदादाता

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक कृषि (वि.) जि.प. करौली

शिड्यूल – जी (2)

क्र.सं.	कार्य का विवरण		दर रूपये में (प्रति सॉयल हैल्थ कार्ड)
1	ऑनलाईन केन्द्रीय/राज्य पोर्टल पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करने हेतु डाटा अपलोड करना जैसे कृषक का नाम व पता, प्रयोगशाला क्रमांक खेत की पहचान, खसरा नं. फसलों का चयन, जांच परिणाम आदि का इन्द्राज एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड की प्रिंटिग का कार्य।	डाटा अपलोड एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रिंटिग की सम्मिलित दर (प्रति सॉयल हैल्थ कार्ड)	
योग	**उपरोक्त कार्य की दर का योग**	–	

उप निदेशक कृषि (विस्तार)
जि.प. करौली

हस्ताक्षर निविदादाता